कार्यालय नगर परिषद् वारिसलीगंज (नवादा)

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–4081 दिनांक–26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

स्वच्छता साथी कौन होंगे :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सकें।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यो में कम–से–कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi Worker NGOs Youth, Community Based Organiations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर परिषद् स्तर पर कुल 10 स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है।

चयन प्रकियाः–

1. प्राप्त हुए आवेदन की Selection Criteria के आधार पर जॉच एवं मिलान कर Final List बनायाी जाएगी तथा सभी अभ्यर्थियों का One to One Interview किया जायेगा।
2. आवेदन करने की अंतिम तिथिः–15.02.2025

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभः–

1. कार्य अवधि पॉच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्‌टी हेतु निकाय की प्रकिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह में एक से पॉच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20=6000.00 रू0 मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर, 2026 तक बढाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छता साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्‌टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधि मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः–

1. आवेदन करने हेतु प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करेगें तथा वांछित कागजात (आवेदन पूर्ण आप से भरा हुआ, शैक्षिणक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवसीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र, एवं अन्य प्रमाण पत्र जिसका अभ्यर्थी दावा करते हो। साथ ही सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित किया हों) ससमय कार्यालय में जमा करेगें।
2. अभ्यार्थी स्वयं दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर आवेदन प्रपत्र संबंधित अनुलग्नक सहित दिनांक–15.02.2025 तक नगर परिषद् वारिसलीगंज कार्यालय में समय 03:00 बजे अपराहन् तक जमा करना सुनिश्चित करेगें। किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा। उक्त के बाद किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।
3. यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नही है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नही होगा।
4. अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अवधी में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, नगर परिषद् वरिसलीगंज से संपर्क किया जा सकता है।

28/01/2025

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् वारिसलीगंज(नवादा)

28/01/25
APSWMO